

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2019—श्रावण 17, शक 1941

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. एफ-35-74-2017-दो-सी-एक्स.—चूंकि, नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग पेट्रोल-डीजल का भण्डारण करने तथा वितरण करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है. और, चूंकि, उसके संबंध में कोई सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुंचेगा. अतएव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 1285, दिनांक 4 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "प्रतिबंधित स्थान" घोषित करता है और यह निर्देश देता है कि, इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की स्थानीय भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी:—

#### अनुसूची

क्रमांक (1)	स्थान (2)	पता (3)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा (4)
1	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बकानियां भौरी टर्मिनल, भोपाल (म. प्र.).	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बकानियां भौरी टर्मिनल, भोपाल (पेट्रोल-डीजल का भंडारण डिपो).	पूर्व में—शासकीय मार्ग पश्चिम में—ग्राम बकानियां की कृषि भूमि. उत्तर में—ग्राम भौरी की कृषि भूमि दक्षिण में—ग्राम कोल्खेड़ी की रिक्त भूमि एवं गिट्टी रोड.

No. F-35-74-2017-2-CX.—WHEREAS, the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for Storage and distribution of Petroleum Products- a work for a purpose of a public character; and, whereas, any information with respect thereto, on the destruction or obstruction thereof or interference therewith, would be useful to an enemy. Now Therefore, In exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act No. XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285, dated the 4th May, 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to the "Prohibited Places" for the purpose of the said Act and to direct that a copy of this notification in English and in the local language be affixed to the said premises:—

SCHEDULE

S. No.	Place	Location	Description of the Boundaries of the Prohibited Place
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Reliance Industries Limited, Bakania Bhaunri, Bhopal (M.P.).	Reliance Industries Limited, Bakania Bhaunri, Bhopal (Petroleum Product Storage Plant).	<b>East</b> —Govt. Road. <b>West</b> —Agriculture land of Village Bakania. <b>North</b> —Agriculture land of Village Bhaunri. <b>South</b> —Vacant land and cobbled path of Village Kolukhedi.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहम्मद शाहिद अबसार, सचिव.